



आई.सी.डी.एस. सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन प्रोग्राम की नवीन व्यवस्था



आई.सी.डी.एस. (बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग) सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन एवं स्कीम फॉर एडोलेसेन्ट कार्यक्रम



- ❖ आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों को छह प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- ❖ छह सेवाओं में से एक महत्वपूर्ण सेवा है— सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन प्रोग्राम (एस.एन.पी.)।

सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन एवं स्कीम फॉर एडोलेसेन्ट गल्स प्रोग्राम (एस.एन.पी.) के लाभार्थी



दर / लाभार्थी / दिन

₹ 8.00

₹ 3.50

₹ 12.00

₹ 9.50

₹ 9.50

ड्राई टेक होम राशन वितरण स्कीम क्या है?



- प्रदेश के समस्त जनपदों में अनुपूरक पोषाहार योजना का नवीन विकेन्द्रीकृत व्यवस्था—ड्राई राशन का क्रियान्वयन। मा० सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा **टेक होम राशन (टी.एच.आर.)** का विकेन्द्रीकरण किया जाना है।
- इस क्रम में पूरे प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से नवीन विकेन्द्रीकृत व्यवस्था लागू की गई है।
- ड्राई टेक होम राशन स्कीम** के अंतर्गत आई.सी.डी.एस. विभाग द्वारा लाभार्थियों को पूर्व में दिए जाने वाले फोर्टिफाइड अनुपूरक पोषाहार के स्थान पर सूखा राशन (दाल, चावल, गेहूं) तथा दुग्ध पदार्थ (देशी घी तथा स्कम्ड मिल्क पाउडर) आंगनबाड़ी केंद्र से वितरित किया जाएगा।
- फोर्टिफाइड अनुपूरक पोषाहार को प्री-मिक्स रेसिपी के रूप में उत्पाद करने की प्रक्रिया पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है। अगले दो वर्षों में स्वयं सहायता समूहों का क्षमता वर्धन इस कार्य हेतु किया जाएगा। बीच की इस अवधि में, चरणबद्ध रणनीति अपनाते हुए, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूखा राशन वितरण व्यवस्था लागू की जा रही है।

नवीन ड्राई राशन (टी.एच.आर.) वितरण प्रणाली अंतर्गत दिए जाने वाले मुख्य खाद्य पदार्थ



लाभार्थी समूह को वितरित की जाने वाली खाद्य पदार्थ की मात्रा तथा कलर कोड



11–14 वर्ष की स्कूल
न जाने वाली किशोरियाँ
(स्कीम फॉर एडोलेसेन्ट गल्स)



गर्भवती/धात्री
महिलाएं



6 माह 3 वर्श के
बच्चे



3 वर्ष 6 वर्श के
बच्चे



अति कुपोषित बच्चे


11-14 वर्ष की स्कूल न जाने
वाली किशोरियाँ (स्कीम
फॉर एडोलेसेन्ट गल्स)

गर्भवती/धात्री महिलायें

6 माह-3 वर्श के बच्चे

3 वर्ष-6 वर्श के बच्चे

अति कुपोषित बच्चे



कलर कोड	मासिक			त्रमासिक	
	गेहूं	चावल	दाल	देशी धी	स्किम्ड मिल्क पाउकर
गुलाबी	2 किलो	1 किलो	0.75 किलो	450 ग्राम	750 ग्राम
पीला	2 किलो	1 किलो	0.75 किलो	450 ग्राम	750 ग्राम
आसमानी नीला	1.5 किलो	1 किलो	0.75 किलो	450 ग्राम	400 ग्राम
हल्का हरा	1.5 किलो	1 किलो	X	X	400 ग्राम
लाल	2.5 किलो	1.5 किलो	0.50 किलो	900 ग्राम	750 ग्राम



आई.सी.डी.एस. विभाग की भूमिका



- ✓ लाभार्थी संख्या के आधार पर त्रैमासिक मांग (माह—वार) पत्र बनाना। प्रत्येक माह के अंत में लाभार्थी की सूचना पोर्टल पर अपडेट करना।
- ✓ तीनों विभागों— आजीविका मिशन, PCDF तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को मांग पत्र भेजना।
- ✓ दुग्ध पदार्थ – देशी घी व स्किम्ड मिल्क पाउडर को बाल विकास परियोजना कार्यालय में त्रैमास में एक बार प्राप्त करना।
- ✓ प्रत्येक माह वितरण दिवस को “पोषण उत्सव” के रूप में मनाना। ड्राई राशन का प्रयोग कर रेसिपी बनने हेतु लाभार्थी को बताना।
- ✓ वितरण का डेटा DIA पोर्टल में भरना।
- ✓ वितरित व शेष खाद्यान्न का मिलान करना।

आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) में विभिन्न विभागों की भूमिका



**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
(एफ.एंड.सी.एस.डी.)**

कोटेदार के माध्यम से गेहूं चावल
की आपूर्ति करना।



**राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
(यू.पी.एस.आर.एल.एम.)**

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दाल
का क्रय, पैकेजिंग एवं वितरण की
व्यवस्था।



**प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी
फेडरेशन (पी.सी.डी.एफ.)**

देशी घी एवं स्किम्ड मिल्क
पाउडर की आपूर्ति करना।



प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फैडरेशन की भूमिका



✓ देशी घी एवं स्कम्फ दूध पाउडर का उत्पादन, पैकेजिंग को बाल विकास परियोजना कार्यालय तक, हर तीन माह में एक बार आपूर्ति— त्रैमास के प्रथम माह की 1-2 तारीख को।

✓ वितरित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी PCDF की होगी। रैन्डम सैम्पल की जांच के लिए भेजना भी विभाग की ज़िम्मेदारी होगी।

✓ PCDF द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय को सीधे आपूर्ति की जाएगी।

✓ PCDF द्वारा की गई आपूर्ति की प्रवष्टि DIA Portal पर की जाएगी। मांग पत्र की सकल मात्रा और पिछले चक्र की वार्षिक आपूर्ति के आधार पर भुगतान किया जाएगा।



खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग



विभाग गेहूं व चावल की मासिक मांग से कोटेदारों को अवगत कराएगा तथा उसे राशन की दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा।



खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में पूर्व से ही एक सुविकसित IT प्रणाली विद्यमान है। मांग—पत्र के आधार पर, FCI एवं कोटेदार तक गेहूं एवं चावल के उठान संबंधी कार्यवाही **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग** के IT मंच के माध्यम से ट्रैक की जाएगी।



कोटेदार द्वारा गत माह की 21 से 30 तारीख के मध्य गेहूं एवं चावल का उठान किया जाता है। तदनुसार गेहूं एवं चावल का मांग—पत्र विभाग को त्रैमास के प्रथम मास की FPS से स्वयं सहाता समह द्वारा उठान की तारीख से 45 दिन पहले प्रेषित किया जाएगा।

(उदाहरण के लिए – अप्रैल से जून त्रैमास के मांग पत्र को फरवरी माह के दूसरे सप्ताह तक **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग** को प्रेषित किया जाएगा)।



राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

ड्राई राशन की पैकेजिंग एवं केंद्र तक आपूर्ति पहुंचाने तथा वितरण प्रक्रिया देखने हेतु नोडल विभाग।

आजीविका मिशन सभी स्वयं सहायता समूहों को डिमांड इंडेंट की सूचना देगा तथा लाभार्थी सख्त्या अनुसार कलर कोडेड डिब्बे One time उपलब्ध कराएगा।

स्वयं सहायता समूह, मांग-पत्र के अनुसार अनाज (चावल / गेहूं) की मात्रा प्रत्येक माह की 03 एवं 04 तारीख को राशन के दुकान से उठाएंगे।

कोटेदार से मासिक अनाज को उठाएंगे।




रस्थानीय बाज़ार से दालों की खरीद करेंगे।

स्वयं सहायता समूह सभी सूचना DIA portal पर डालेंगे।

स्वयं सहायता समूह आंगनवाड़ी केंद्रों पर टी.एच.आर. के वितरण में सहायता करेंगे।

स्वयं सहायता समूह दुग्ध उत्पादों को बाल विकास परियोजना कार्यालय से त्रैमास में एक बार 1-2 तारीख को उठाएंगे।

स्वयं सहायता समूह – टेक होम राशन की पैकेजिंग एवं Weighing



देशी धी एवं स्किम मिल्क पाउडर तीन माह में एक बार वितरित किए जाएंगे एवं गेहूं, दाल, चावल प्रत्येक माह वितरित किए जाएंगे।



पहली बार झाई राशन एकत्रित, पैकेजिंग व weighing कर केंद्र तक पहुंचाना।
अगले माहों में सूखा राशन व दुग्ध पदार्थ सीधे केंद्र तक पहुंचाना। पूर्व निर्धारित कच्चे अनाज की मात्रा weigh करते हुए लाभार्थी को देना।

पैकेजिंग



11–14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियां (स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स)



गर्भवती/धात्री महिलाएं




6 माह 3 वर्श के बच्चे



3 वर्ष 6 वर्श के बच्चे




अति कपोशित बच्चे



टेक होम राशन
वितरण प्रणाली
का क्रियान्वयन


आपूर्ति श्रृंखला

सप्लाई चेन ग्रामीण क्षेत्र



आपूर्ति श्रृंखला

सप्लाई चेन नगरीय क्षेत्र



क्रियान्वयन प्रणाली के अन्य बिन्दु

- DIA पोर्टल की स्थापना जिससे चारों विभाग जोड़े जाएंगे तथा जिसके माध्यम से डिजीटलीकृत मांग पत्र, वारस्तविक आपूर्ति, वितरण तथा भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वयं सहायता समूहों से मैपिंग तथा समूहों की राशन दुकान से मैपिंग का कार्य किया जा रहा है।
- छेशी घी 450 ग्राम एवं 900 ग्राम, एवं स्किम्ड मिल्क पाउडर 400 ग्राम एवं 750 ग्राम के प्री पैकेज में प्रदान किया जाएगा।
- प्रत्येक स्तर पर mobile based authentication किया जाएगा।



मुख्य गतिविधियों की समय सीमा



गतिविधि	समय
मांग पत्र	त्रैमास के प्रथम माह हेतु अनाज उठाने से 45 दिनों पहले
राशन की दुकान से खाद्यान्न उठाना	हर माह की 3–4 तारीख को
ब्लॉक परियोजना से दुग्ध पदार्थ उठाना	त्रैमास की प्रथम माह की 3–4 तारीख को
आंगनवाड़ी केंद्र तक सामग्री पहुंचाना	4–5 तारीख को (गोहूं चावल, दाल प्रत्येक माह व दुग्ध सामग्री तीन माह में एक बार)
वितरण	हर माह की 5 तारीख को छूटे हुए लाभार्थियों को 6 तारीख को

पोषण उत्सव (वितरण दिवस) के दिन की जाने वाली गतिविधियाँ



तीन काउन्टर की स्थापना

1



पोषण तश्तरी, पोषण रंगोली

2



बच्चों का टेक होम राशन वितरण काउन्टर

3



गर्भवती/धात्री व किशोरियों का टेक होम राशन वितरण काउन्टर





निगरानी एवं गुणवत्ता तंत्र



निगरानी एवं गुणवत्ता की जांच

- ✓ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अपने सामान्य वितरण तंत्र के साथ आई.सी.डी.एस. **SNP** के तहत आवंटन के लिए एक ही क्यू.सी. पैरामीटर लागू करेगा।
- ✓ वितरित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी **PCDF** की होगी। रैन्डम सैम्पल की जांच के लिए भेजना भी विभाग की ज़िम्मेदारी होगी।
- ✓ आई.सी.डी.एस., खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफ.एन.बी.) अथवा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर रैन्डम परीक्षण किया जा सकता है।
- ✓ आई.सी.डी.एस. कॉल सेन्टर द्वारा लाभार्थी का फीडबैक लिया जाएगा।

ग्राम निगरानी समिति

(Village/Ward Monitoring Committee)



सदस्य

ग्राम प्रधान / वार्ड सभासद (अध्यक्ष)

- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मिशन (आंगनवाड़ी कार्यक्रमी के अतिरिक्त)
 - एक सदस्य
- ग्राम पंचायत का सदस्य — एक सदस्य
- टेक होम राशन लाभार्थी माता (रोटेशन से) — एक सदस्य
- किशोरी लाभार्थी (अधिमानतः वीरांगना दल की सखी / सहेली—रोटेशन से)
 - एक सदस्य

भूमिका / दायित्व

- आंगनवाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन (टी.एच.आर.) के वितरण के साथ—साथ दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता।
- लाभार्थियों को सूखे राशन के साथ—साथ स्वयंसेवी समूह द्वारा दुग्ध उत्पादों का वितरण।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा आवश्यक लेबल सहित पैकेजिंग (वज़न सहित) का अनुश्रवण। यह गतिविधि एक बार की जाने वाली है।
- श्राशन की दुकान (Fair Price shop) से स्वयं सहायता समूह द्वारा अनाज उठाने के समय निगरानी।
- स्वयं सहायता समूह दाल के स्थानीय क्रय के समय निगरानी।

ब्लॉक निगरानी समिति

(Block Monitoring Committee)



सदस्य

- खण्ड विकास अधिकारी (अध्यक्ष)
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.), बाल विकास एवं पुष्टाहार सेवाएं
- आपूर्ति निरीक्षक
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी (ब्लॉक के प्रभारी)
- ब्लॉक मिशन प्रबंधक, एस.आर.एल.एम.
- ब्लॉक से एक आंगनवाड़ी कार्यकारी (रोटेशन द्वारा)

भूमिका / दायित्व

- एफसीआर/एफएंडडी एवं सीएसडी ब्लॉक के गोदामों से लेने वाले अनाजों एवं टीएचआर द्वारा क्रय किए गए अनाज की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच।
- आंगनवाड़ी केंद्रों में टी.एच.आर. की आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी।

जिला निगरानी समिति

(District Monitoring Committee)



सदस्य

- जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
- डी.पी.ओ. (संयोजक)
- उपायुक्त एन.आर.एल.एम.
सदस्य
- जिला पोषण समिति के
सदस्य

भूमिका / दायित्व

- जिला स्तर पर टेक होम राशन आपूर्ति श्रृंखला का
सम्पूर्ण प्रबंधन।
- टेक होम राशन आपूर्ति श्रृंखला के परफॉरमेंस की
आवधिक समीक्षा (Periodic Review)
- प्रत्येक ब्लॉक में टेक होम राशन की आपूर्ति एवं
वितरण की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नामित
करना।
- नगरीय क्षेत्रों में दाल के रथानीय क्रय व वितरण एवं
उचित दर की दुकानों एवं पी.सी.डी.एफ. द्वारा
उपलब्ध कराए गए उत्पादकों को उठाना एवं
वितरण।

रिपोर्टिंग प्रणाली

कॉल
सेन्टर

पोर्टल

ICDS Call Center: उद्देश्य

सूचना प्रदान करना

आईसीडीएसो एवं पोषण अभियान के अन्तर्गत पात्रता, लाभों, पंजीयन (**entitlement**) टी0एच0आर0 पर ध्यानाकर्षण सहित लाभों को उपभोग करने की प्रक्रिया इत्यादि से संबंधित सेवाओं की जानकारी प्रदान करना

फीडबैक एकत्रित करना

प्रदत्त सेवाओं के संबंध में सेवा के इच्छुक लाभार्थियों, ए0डब्लू0डब्लू0, पर्यवेक्षक व अन्य हितधारकों का फीडबैक लेना

शिकायतों का प्रबन्धन

आईसीडीएसो व पोषण अभियान से संबंधित शिकायतों के प्रबन्धन में सहयोग

आईसीडीएसो एवं राज्य पोषण मिशनके लिए सन्दर्भ बिन्दु

पोषण अभियान हेतु आईसीडीएसो व मिशन के लिए सन्दर्भ बिन्दु के रूप में कार्य करना। (लाभार्थियों व कार्यकारियों से प्राप्त फीडबैक एवं इनपुट्स के अनुरूप)

कॉल सेन्टर का परिचालन

- 40 सीटों की क्षमतायुक्त एक कॉल सेन्टर का उपार्जन किया गया है।
- कॉल सेन्टर का संचालन/नियंत्रण, सेवा प्रदाता द्वारा विकसित किए गये अनुकूलित साफ्टवेयर (सी0आर0एम0) के माध्यम से किया जायेगा।
- कॉल (इनबाउण्ड/आउटबाउण्ड) के माध्यम से प्राप्त डेटा की प्रविश्टि सी0आर0एम0 पोर्टल पर की जायेगी।
- कॉल सेन्टर आपरेटरों को, सभी संचारों को संभालने के लिए, कार्यप्रणाली, टूल एवं प्रारूपों पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

इसमें दोनों ही कॉलों (इनबाउण्ड एवं आउटबाउण्ड) की सुविधा होगी

Call-in function

लाभार्थी टोलफ़ी नम्बर पर कॉल करके सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

Call-out function

“Call Out” के अन्तर्गत कॉल सेन्टर द्वारा लाभार्थियों एवं आंगनबाड़ी कायकत्री को कॉल करके प्रदान की गयी सेवाओं की गुणवत्ता का पता लगाना/सुनिश्चित करना है।

TOLL FREE NUMBER- 18001805500

रिपोर्टिंग तंत्र

- एकत्रित सूचना के आधार पर “सारांश रिपोर्ट” सिस्टम द्वारा सृजित की जायेगी और इसे विभाग के साथ सभी स्तरों (ब्लाक से राज्य तक) पर साझा किया जायेगा।
- आई0सी0डी0एस0 / एस0एन0एम0 द्वारा “सूचकांक सूची” विकसित की जायेगी और इसे केन्द्रीकृत कॉल सेन्टर के साथ साझा किया जायेगा।
- राज्य/जनपद/ब्लाक स्तर पर विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड।
- वेब-आधारित रिपोर्ट को अवलोकन (access) करने हेतु आवश्यक लॉग-इन विवरण सभी स्तरों (ब्लाक, जनपद एवं राज्य) पर प्रदान किया जायेगा।

Website:-lcdsup.csccloud.in/#

← → ⌂ 🔒 icdsup.csccloud.in/#

Apps t2f - Google Search 2 uphmis dashboards... HMIS Ministry of Health... eTools | Dashboard Program Meeting U... Achieve » | Other bookmarks

0522-2304703 Digital India Power To Empower

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

होम हमारे बारे में सामान्य प्रश्न विश्लेषण Download पंजीकरण ▾





बच्चे
(6 महीने से 3 साल)

इस श्रेणी के तहत प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य की



बच्चे
(3 साल से 6 साल)

बच्चे के विकास के वर्षों में सुनिश्चित पूरक पोषण



किशोरियां
(11 साल से 14 साल)

किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित



गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला

जन्म देने के 9 महीने तक और अगले 6 महीनों के



गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे

उन बच्चों को पूरक पोषण प्रदान किए जायेगे,

कार्यवाही अब तक



1

कैबिनेट
अनुमोदन

2

शासनादेश
जारी
(1 अक्टूबर)

3

वितरण
प्रणाली का
SOP जारी

सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण— 15 अक्टूबर
सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा मुख्य सेविका का पोर्टल पर प्रशिक्षण— 3 नवम्बर

योजना का क्रियान्वयन



9 नवम्बर, 2020

जनपद स्तर पर सभी तैयारी पूर्ण तथा खाद्य पदार्थ का ब्लॉक तथा
जनपद स्तर पर पहुंचना आरम्भ

10—14 नवम्बर,
2020

अक्टूबर तथा नवम्बर माह का ड्राई टेक होम राशन का कार्यक्रम
द्वारा डोर-टू-डोर वितरण

जनवरी 2021

स्थिति सामान्य होने पर SOP के अनुसार योजना का क्रियान्वयन



आपकी भूमिका / दायित्व

1. वर्तमान प्रणाली का सुनियोजित तरीके से कियान्वयन

- 10 नवम्बर से अनाज तथा दुग्ध पदार्थ का वितरण डोर-टू-डोर पहुंचाना सुनिश्चित करवायें।
- दीवाली के पूर्व सितम्बर-अक्टूबर का वितरण पूर्ण कर लें।

2. योजना का **SOP** के अनुसार कियान्वयन

- पोषण समिति की बैठक आयोजित करे। इस बैठक में निम्न गतिविधियों हेतु अवश्य जनपद स्तरीय रणनीति बना लें—
 - ✓ प्रशिक्षण की तैयारी— समय सारिण, गुणवत्ता तथा आकसिमक निरीक्षण
 - ✓ विभागों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व
 - ✓ नगरीय क्षेत्र में योजना का क्रियान्वयन
 - ✓ अनुश्रवण –ब्लॉक स्तर पर (दुग्ध उठान, FCI द्वारा अनाज गोदाम तक पहुंचने के दौरान) तथा पोषण उत्सव के दौरान



आपकी भूमिका / दायित्व

प्रशिक्षण

- सभी विभागों विशेषकर आई0सी0डी0एस0 तथा आजीविका मिशन की प्रशिक्षण हेतु समय सारिणी तथा उसका अनुपालन
- सभी प्रशिक्षण 30 नवम्बर से पूर्व समाप्त करवाना
- प्रशिक्षण हेतु सामग्री आप सभी को प्रेषित की जा रही है।
 - ✓ तकनीकी प्रस्तुतीकरण
 - ✓ पोषण उत्सव आयोजित करने के दिशानिर्देश
 - ✓ रेसिपी बुकलेट व रेसिपी वीडियो

एडवोकेसी तथा
प्रशिक्षण पैकेज



Branding

Logo

Advocacy Package

Technical Presentation




FAQ




एक परिचय

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय, उत्तर प्रदेश

Fixed Day Distribution activity



Recipe booklet



Training
Package

**हर माह की
5-6 तारीख को
आंगनवाड़ी केंद्र पर
झाई टेक होम राशन
का वितरण !**

**लाभार्थियों को वितरित
किये जाने वाले
मुख्य खाद्य पदार्थ**

सही पोषण, उत्तर प्रदेश रोशन

**हर माह की
5-6 तारीख को
आंगनवाड़ी केंद्र पर
झाई टेक होम राशन
का वितरण !**

**लाभार्थियों को वितरित किये जाने वाले
मुख्य खाद्य पदार्थ**

**लाभार्थी समूह को वितरित की जाने वाली
खाद्यान्न की मात्रा**

उमेर की स्तरीय न जाने (स्ट्रिक्ष फार औलोलेट्रिंग ग्राम)	मासिक	त्रैमासिक
11-14 वर्ष की लड़के न जाने (स्ट्रिक्ष फार औलोलेट्रिंग ग्राम)	गेहूँ 2 किलो चावल 1 किलो दाल 0.75 किलो देसी घी 450 ग्राम स्ट्रिक्ष मिल्क पाउडर 750 ग्राम	
गर्भवती/पात्री महिलाएं	गेहूँ 2 किलो चावल 1 किलो दाल 0.75 किलो देसी घी 450 ग्राम स्ट्रिक्ष मिल्क पाउडर 750 ग्राम	त्रैमासिक
6 माह-3 वर्ष के बच्चे	गेहूँ 1.5 किलो चावल 1 किलो दाल 0.75 किलो देसी घी 450 ग्राम स्ट्रिक्ष मिल्क पाउडर 400 ग्राम	मासिक
3 वर्ष-6 वर्ष के बच्चे	गेहूँ 2 किलो चावल 1 किलो दाल X देसी घी X स्ट्रिक्ष मिल्क पाउडर 400 ग्राम	त्रैमासिक
अति कुपोषित बच्चे	गेहूँ 2.5 किलो चावल 1.5 किलो दाल 0.5 किलो देसी घी 900 ग्राम स्ट्रिक्ष मिल्क पाउडर 750 ग्राम	मासिक

सही पोषण, उत्तर प्रदेश रोशन

**हर माह की
5-6 तारीख को
आंगनवाड़ी केंद्र पर
झाई टेक होम राशन
का वितरण !**

**लाभार्थी समूह को
वितरित की जाने वाली
खाद्य पदार्थ की मात्रा**

उमेर-3 वर्ष के बच्चे	मासिक	त्रैमासिक
गर्भवती/पात्री महिलाएं	गेहूँ 2 किलो चावल 1 किलो दाल 0.75 किलो देसी घी 450 ग्राम स्ट्रिक्ष मिल्क पाउडर 750 ग्राम	
3 वर्ष-6 वर्ष के बच्चे	गेहूँ 2 किलो चावल 1 किलो दाल 0.75 किलो देसी घी 450 ग्राम स्ट्रिक्ष मिल्क पाउडर 400 ग्राम	मासिक
अति कुपोषित बच्चे	गेहूँ 2.5 किलो चावल 1.5 किलो दाल 0.5 किलो देसी घी 900 ग्राम स्ट्रिक्ष मिल्क पाउडर 750 ग्राम	त्रैमासिक

सही पोषण, उत्तर प्रदेश रोशन


IEC Package- Posters and Leaflets

You Tube Link to Recipe Videos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIDy0p_bBfilwyESV5t0NnL23A8PutqO

FLEX पोषण तक्तारी

सुबह 6 से 9 बजे



कार्बोहाइड्रेट



प्रोटीन



विटामिन ए



आयरन



कैलशियम




अन्य विटामिन
एवं पोषक तत्व




अनुपयुक्त



सुबह 9 से दिन 12 बजे




दिन 12 से 3 बजे



दिन 3 से शाम 6 बजे



शाम 6 से रात 9 बजे




12

Thematic Rangoli designs



गर्भवती के लिए पौष्टिक आहार



आंगनवाड़ी की सेवाएं

आंगनवाड़ी पोषणाहार के लाभ



पोषण तश्तरी



स्तनपान व उसके फायदे

6 माह के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ पूरक आहार



किशोरियों का पोषण



दस्त प्रबन्धन



टीकाकरण



साफ-सफाई



हर बार शौच के लिये शौचालय का प्रयोग एवं सफाई



सुरक्षित पेयजल स्रोत एवं पेयजल का रखरखाव



झाई टेक होम राशन वितरण

वॉल पेन्टिंग सैम्प्ल



आंगनवाड़ी केंद्र का नाम

वितरण की तिथि— प्रत्येक माह की 5 तारीख को (छूटे हुए लाभार्थियों को 6 तारीख को)

व्यवस्था संबंधी संपर्क करने हेतु टोल फ्री नम्बर— 1800—180—5500

लाभार्थी समूह को वितरित की जाने वाली खाद्यान्वयन व दुग्ध सामग्री की मात्रा तथा कलर कोड

वितरित किए जाने वाले डब्बों का कलर कोड	गेहूं	चावल	दाल	देशी घी	स्किम्ड मिल्क पाउडर	
					मासिक	
11–14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियां (स्कीम फार ऐडोलेसेन्ट गर्ल्स)	गुलाबी (3 डिब्बे)	2 किलो	1 किलो	0.75 किलो	450 ग्राम	750 ग्राम
गर्भवती / धात्री महिलाएं	पीला (3 डिब्बे)	2 किलो	1 किलो	0.75 किलो	450 ग्राम	750 ग्राम
6 माह—3 वर्ष के बच्चे	आसमानी नीला (2 डिब्बे)	1.5 किलो	1 किलो	0.75 किलो	450 ग्राम	400 ग्राम
3 वर्ष— 6 वर्ष के बच्चे	हल्का हरा (3 डिब्बे)	1.5 किलो	1 किलो	X	X	400 ग्राम
अति कुपोषित बच्चे	लाल (3 डिब्बे)	2.5 किलो	1.5 किलो	0.50 किलो	900 ग्राम	750 ग्राम

ધ્રુવાદ

